तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियाल्स जज मु.नं. 453 / 2022 सुरेश कुमार बनाम मनीराम वगै अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2023	पत्रावली पेश हुई । अवलोकन किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक भंवरियां के खसरा नम्बर 10 तादादी 1.1300हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 तादादी 0.0700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 13 तादादी 0.1300 हैक्टेयर गै.मु.नहर, खसरा नम्बर 16 तादादी 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 तादादी 0.8700 हैक्टेयर कुल तादादी 2.8300 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा एवं दखल निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि का सीमााान श्रीमान नायब तहसीलदार महाजन से विधिवत आदेश कमांक 531, 532 दिनांक 16.05.2022 की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 09.07.2022 को ग्राम के मौजिज व्यक्तियो एवं खेत पड़ौसीयों की उपस्थिति मे पुख्ता बिन्दू को आधार मानकर जरीब चला कर सीमाकंन करवा कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा चिन्हित कर सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही चक भंवरिया के खसरा नम्बर 10 तादादी 1.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 12 तादादी 0.07000हैक्टेयर खसरा नम्ब्र 16 तादादी 0.6300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 9 तादादी 0.8700 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7000 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण व उसके परिवार वाले प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थर गढी नहीं करने दे रहे है जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी करवाने का संवैधानिक अधिकार है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही चक भंवरिया के खसरा नम्बर 10 तादादी 1.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 12 तादादी 0. 07000हैक्टेयर खसरा नम्ब्र 16 तादादी 0.6300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 9 तादादी 0.8700 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7000 हैक्टेयर भूमिं मे पत्थरगडी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गई। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार नायब तहसीलदार महाजन के आदेश दिनांक 16.05.2022 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 09.07.2022 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही चक भंवरिया के खसरा नम्बर 10 तादादी 1.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 12 तादादी 0. 07000हैक्टेयर खसरा नम्ब्र 16 तादादी 0.6300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 9 तादादी 0.8700 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7000 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुंच सीमाचिह्न दिये गये जिसके अध्ययन मे किसी प्रकार की विपरीत रिपोर्ट प्रतीत नहीं होती हैं। जमाबन्दी खसरा नम्बर 2077–2080 तादादी 2.8300 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र अरजनसर स्टेशन संलग्न हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि नायब तहसीलदार(भू.अ.) महाजन सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही चक भंवरिया के खसरा नम्बर 10 तादादी 1.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 12 तादादी 0.07000हैक्टेयर खसरा नम्ब्र 16 तादादी 0. 6300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 9 तादादी 0.8700 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7000 हैक्टेयर भूमि के सींवजाड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार (भू.अ.) महाजन को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	